राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3257 / 2025

मनीष शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में कार्यरत हैं। आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप जिला चिकित्सालय, बांदीकुई, जिला दौसा से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने जोधपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की जगह बांदीकुई में किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है एवं वह पद आज भी रिक्त है। इसके अलावा दौसा जिले में काफी पद रिक्त है। अपीलार्थी की माताजी का आधा शरीर पैरालाईसीस से पीड़ित है, जिससे वह उठ–बैठ नहीं सकती। उनका ईलाज निरंतर जारी है। बिस्तर में पड़े रहने से शरीर में घाव आदि हो जाते है, जिन पर दवाई पट्टी अपीलार्थी करता है। अपीलार्थी के अलावा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जोधपुर स्थानान्तरण से अपीलार्थी को विभिन्न पारिवाारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त संबंध में

अपीलार्थी ने दिनांक 05.03.2025 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सिविल अपील 12143/2023 डॉ0 एस.के. नौशाद रहमान बनाम भारत संघ के निर्णय पेरा संख्या 451 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य की नीति में कार्मिक की पारिवारिक सुरक्षा को गरीमा का अभिन्न अंग मानते हुए उस पर विचार किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष